उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग।
(पंचायत शाखा)

कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति संबंधी विज्ञापन संख्या– 01/2017

सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायत राज), झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक 1411/राँची, दिनांक– 28/04/2016 के द्वारा 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत हजारीबाग जिले के सभी पंचायतों के लिए संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (मासिक मानदेय 17000/–रू0) एंव लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर (मासिक मानदेय 10000/–रू0) के नीचे वर्णित कोटिवार आरक्षित/अनारक्षित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची तैयार करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है:–

पद	अनारक्षित	अनु0जाति	अनु0 जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	कुल
कनीय अभियंता	11	4	1	3	2	21
लेखा लिपिक –सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	20	14	2	7	9	52

कनीय अभियंता पद के लिए योग्यता :–

(क) I. **अनिवार्य योग्यता:–** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नियमित पाठ्यक्रम में 60 प्रतिशत अंको के साथ सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष/अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए नयूनतम अंक 50 प्रतिशत निर्धारित है।

II. **वांछित योग्यता:–** संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता।

(ख) उम्र सीमा:– अधिकतम 40 वर्ष

लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर पद के लिए योग्यता :–

(क) I. **शैक्षनिक योग्यता:–** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ बी0कॉम0/बी0एस0सी0 (गणित/सांख्यिकी) बी0ए0(गणित/सांख्यिकी) अथवा समकक्ष डिग्री/अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए नयूनतम अंक में 5 प्रतिशत की छूट निर्धारित है।

II. **वांछित योग्यता:–** संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता एवं अनुभव प्राप्त को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ख) उम्र सीमा:–

I.	सामान्य वर्ग के लिए	–	35 वर्ष
II.	पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए	–	37 वर्ष
III.	अनुसूचित जाति/जनताति के लिए	–	40 वर्ष

आवेदन शुल्क :–

आवेदकों को आवेदन के साथ पद के अनुरूप शुल्क का भुगतान करना होगा जो निम्नवत् है।

क्र.	पद का नाम	शुल्क की राशि	कोटि
1	कनीय अभियंता	500/–	सामान्य श्रेणी/पि0वर्ग/अ0पि0वर्ग के लिए
		300/–	अ0जा0/अ0ज0जा0 के लिए
2	लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	500/–	सामान्य श्रेणी/पि0वर्ग/अ0पि0वर्ग के लिए
		300/–	अ0जा0/अ0ज0जा0 के लिए

विभागीय अधिसूचना संख्या– 80 दिनांक– 28.04.2016 के द्वारा उपरोक्त पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया एवं आवेदन के लिए विहित प्रपत्र तथा संविदा पर नियुक्ति की होने वाले कर्मियों की सेवा शर्त निर्धारित की गई है जो इस जिले के वेबसाईट http://www.hazaribag.nic.in पर देखा जा सकता है।

उक्त अधिसूचना में आवेदन समर्पित करने के तहत सुयोग्य अभ्यर्थियों से दिनांक ..18/9/2017.. के अपराहन् 05:00 बजे तक आवेदन व्यक्तिगत रूप से अथवा रजिस्ट्री/स्पीड पोस्ट के माध्यम से समाहरणालय, हजारीबाग स्थित जिला पंचायत राज कार्यालय, हजारीबाग में प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन के साथ पद के अनुरूप शुल्क का भुगतान डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से किया जायेगा जो उपायुक्त, हजारीबाग के पदनाम से भुगतेय होगा। निर्धारित तिथि एवं ससमय के बाद प्राप्त आवेदन तथा अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। इस कार्यालय का ई–मेल पता– dprohaz@yahoo.com

24.8.17 — जिला पंचायत राज पदाधिकारी, हजारीबाग 18/8/17

1/9/17 — उप विकास आयुक्त, हजारीबाग

उपायुक्त, हजारीबाग।

ज्ञापांक ...454..../ग्रा0पं0, हजारीबाग   दिनांक .01/9..../2017

प्रतिलिपिः– जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं उपरोक्त विज्ञापन स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24.8.17 — जिला पंचायत राज पदाधिकारी, हजारीबाग

उपायुक्त, हजारीबाग।

संविदा पर नियुक्त होने वाले कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटरों की सेवाशर्त्त निम्नवत् होगीः–

(1) प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व समिति के द्वारा उनके कार्यो की समीक्षा की जा जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के अधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। नियुक्ति के लिए गठित की गई चयन समिति ही इस प्रयोजनार्थ नवीकरण के लिए समिति मानी जायेगी।

(2) यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असंतोष पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।

(3) उपर्युक्त अवधि में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मी को किसी अन्य स्थान/संस्था इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(4) संविदा अवधि के नवीकरण कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

(5) कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मानदेय में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दी जायेगी।

(6) आवेदक को देय एकमुश्त वेतन के अंतर्गत ही यात्रा, दूरभाष एवं इंटरनेट की सुविधा सम्मिलित होगी।

(7) आवेदन को योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा। कर्मी को मात्र सरकारी कार्यो से देश के अंदर यात्रा करने हेतु राज्य के नियमों के अंतर्गत यात्रा व्यय का भुगतान किया जायेगा।

(8) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवकाश संविदा कर्मियों को देय होगा।

(9) नियुक्त कर्मियों को विभाग द्वारा तैयार किये गये अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।

उपायुक्त,
हजारीबाग।

APPLICATION FORMAT

Passport size photo

1. Post Applied for :
2. Name of Candidate :
3. Father's Name :
4. Nationality :
5. State in which Domiciled/Resident :
6. Address
   (a) Permanent Address :

   (b) Correspondent Address :

7. E-Mail Address :
8. Mobile No. :
9. Caste :
10. Age :

11. Educational Qualification/Desirable Qualification

Name of Exam	University/Institute	Passing Year	Percentage

12. Experience

Name of Organization	Designation	From	To

13. Bank Draft Details

Bank Name	Branch Name	Draft No.	Date	Amount

Note:- Documents related to age, Proof of Domicile/Residence, caste, Qualification, Experience should be self attested and attached.

Declaration

I hereby declare that all the statement information furnished & papers attached are true to best of my knowledge and belief. I have not been prosecuted by any Court of law for any offence or involved/named/charge sheeted in any criminal or like case. If any of the information furnished by the undersigned is formed to be false, my candidature be deemed void and be appropriately penalized.

Signature of the applicant